अध्याय 8

(MADHYA PRADESH STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD)

धारा 40. मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड -

(1) ऐसी तारीख से, जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियत करे, मध्यप्रदेश राज्य के लिये एक बोर्ड स्थापित किया जायेगा जो मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड कहलायेगा।

(2) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगा तथा उक्त नाम से उसके विरूद्ध वाद चलाया जा सकेगा और वह किसी भी सम्पत्ति को अर्जित करने तथा धारण करने, पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अन्तरित करने के लिये तथा संविदा करने के लिये और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक समस्त अन्य बातें करने के लिये सक्षम होगा।

धारा 40 - क राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति -

(1) राज्य सरकार, बोर्ड तथा मण्डी समितियों को निदेश दे सकेगी।

(2) बोर्ड तथा मण्डी समितियां, राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होंगी।

धारा 41. बोर्ड का गठन -

(1) राज्य सरकार बोर्ड का गठन करेगी जिसमें अध्यक्ष तथा निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

क-पदेन सदस्य

(क) मंत्री, जो कृषि विभाग, मध्यप्रदेश, का भारसाधक हो;

(ख) सचिव/विशेष सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग;

(ग) रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां, मध्यप्रदेश;

(घ) कृषि संचालक, मध्यप्रदेश;

(ड) धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन नियुक्त किया गया प्रबंध संचालक;

ख- राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य

(च) मध्यप्रदेश विधान सभा के दो सदस्य, जो विधान सभा अध्यक्ष के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किये गये हों;

(छ) मण्डी समितियों के दस अध्यक्ष, जिनमें किसी भी एक राजस्व आयुक्त संभाग में से एक से अधिक नहीं होगा;

(ज) राज्य के भीतर की किसी भी मण्डी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यापारियों के दो प्रतिनिधि;

(झ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ तथा मध्यप्रदेश राज्य वस्तु व्यापार निगम का अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक।

(ञ) कृषि उपज के विपणन के क्षेत्र में के दो विशेषज्ञ।

(ट) ऐसे तुलैयों तथा हम्मालों का एक प्रतिनिधि, जो राज्य के भीतर की किसी मण्डी समिति से तुलैये तथा हम्माल के रूप में लगातार दो वर्षों की कालावधि से अनुज्ञप्ति धारण किए हुए हों:

परंतु धारा 10 के अधीन प्रथम बार स्थापित किसी मण्डी समिति की दशा में, ऐसी मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति धारण करने की अर्हकारी कालावधि छह मास होगी।

(2) मन्त्री, जो कृषि विभाग, मध्यप्रदेश का भारसाधक हो, बोर्ड का अध्यक्ष होगा तथा बोर्ड के उपाध्यक्ष का नामनिर्देशन उपधारा (1) में निर्दिष्ट किये गये पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से, राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) यदि अध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो राज्य सरकार उसके लिए अन्तरिम व्यवस्था करेगी।

<u>धारा 42. उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि -</u>

(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, बोर्ड का उपाध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा;

परन्तु उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले।

(2) बोर्ड के किसी सदस्य की पदावधि जैसे ही वह उस पद पर न रह जाय जिसके कि आधार पर वह नामनिर्देशन किया गया हो, समाप्त हो जायेगी।

(3) राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, बोर्ड के किसी भी सदस्य को उसकी पदावधि का अवसान होने के पूर्व हटा सकेगी, किन्तु ऐसा करने के पूर्व वह हटाये जाने के विरूद्ध उसे कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर देगी।

<u>धारा 42-क उपाध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद त्याग -</u>

(1) उपाध्यक्ष या सदस्य का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी समय सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग, को लिखित में सम्बोधित करके अपना पद त्याग सकेगा और उसका पद, ऐसे त्याग-पत्र की तारीख से पूरे पन्द्रह दिन का अवसान होने पर उस दशा में रिक्त हो जाएगा, जबकि वह उक्त पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर अपना त्याग-पत्र लिखित में वापस न ले लें।

(2) बोर्ड के उपाध्यक्ष या किसी भी सदस्य की पदावधि का अवसान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने या उसके पद त्याग कर देने या उसके निरर्हित हो जाने या उसको हटा दिये जाने की दशा में यह समझा जायगा कि ऐसे पद की आकस्मिक रिक्ति हुई है और ऐसी रिक्ति यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशन करके भरी जायगी। इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति ऐसे पद को अपने पूर्वाधिकारी की अनवसित अवधि तक के लिए धारण करेगा।

धारा 42-ख बोर्ड के सदस्यों को भत्ते- बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि से उसके (बोर्ड के) सम्मिलनों में हाजिर होने के लिये या किसी अन्य कार्य को करने के लिये ऐसी बैठक फीस तथा भत्तों का भुगतान किया जायेगा जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत किये जायें।

<u>धारा 42-ग बोर्ड के सदस्य की निरर्हता - कोई भी ऐसा व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नहीं होगा -</u>

(क) जो न्याय निर्णीत दिवालिया है या किसी भी समय न्याय निर्णीत दिवालिया रहा है ; या
(ख) जो किसी ऐसे अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जाता है या ठहराया जा चुका है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमत्ता अन्तवर्लित है ; या
(ग) जो विकृतचित का है तथा जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा होना घोषित किया गया है ; या
(घ) जो किसी ऐसी कम्पनी या फर्म का संचालक या सचिव, प्रबंधक या अन्य वैतनिक अधिकारी या कर्मचारी है जिसकी कि बोर्ड या किसी मण्डी समिति के साथ कोई संविदा है; या
(ड) जो धारा 58 के अधीन दोषी है, या किसी भी समय दोषी पाया गया है; या
(च) जिसने सदस्य की हैसियत से अपने पद का राज्य सरकार की राय में इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि जिससे बोर्ड में उसका बना रहना जन-साधारण के हितों के लिए अपायकर हो जाता है।

<u>धारा 42-घ प्रबंध संचालक तथा बोर्ड के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति -</u>

(1) बोर्ड का एक प्रबंध संचालक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;।
(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया प्रबंध संचालक बोर्ड के पदेन सचिव के रूप में भी कृत्य करेगा;।
(3) बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो कि इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों तथा कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक हांे ;।
(4) बोर्ड के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर अधीक्षण और नियंत्रण प्रबंध संचालक में निहित होगा.'।

<u>धारा 42-ड उपसमितियों की नियुक्ति</u>

बोर्ड, अपने कर्तव्यों या कृत्यों में से किसी भी कर्तव्य या कृत्य के पालन के लिये या उससे आनुषंगिक किसी विषय पर सलाह देने के लिये उप-समितियां नियुक्त कर सकेगा जिनमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा संचालक को सम्मिलित करते हुए उसके तीन या तीन से अधिक सदस्य होगें और इन उप-समितियों में से किसी भी उप-समिति को अपने कर्तव्यों या कृत्यों में से कोई भी कर्तव्य या कृत्य, जो कि आवश्यक समझा जाय प्रत्यायोजित कर सकेगा।